

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 163

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02029

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "सिमरन सिटी एक्सटेंशन", प्रमोटर-श्री राजकुमार सिंहानी,
पता-एस.बी.टी. कॉम्पलेक्स, मेन रोड भैंसथान, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"सिमरन सिटी एक्सटेंशन" मठपुरैना, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/10/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 5,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 11.10.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में संलग्न करे। माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के क्रय-विक्रय पर लगाया गया प्रतिबंध को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता के आहरण पर लगाया गया रोक को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करे। साथ ही न्याय निर्णायक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2024 की परिपालन में अनावेदक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही को रोक लगाने हेतु पृथक से पत्र प्रेषित करे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	